कार्यालय/न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)
//परिपत्र//

कमांक–क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक–18.06.2020

कोविड 19 के विश्वव्यापी महामारी की स्थिति में जमानत, सुपुर्दगी आवेदन पत्र सीधे न्यायालय में पेश न होकर उन्हे सॉफ्ट कॉपी में मेल के द्वारा मंगाया जा रहा है लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से यह समस्या और शिकायत देखने में आई है कि अधिवक्ताओं को यह मालूम नहीं रहता कि उनका जो आवेदन भेजा गया है, उसकी सुनवाई कब है, जिससे उन्हे दो–तीन बार आना पड़ता है।

जबकि स्थिति यह होनी चाहिए कि यदि कोई भी अधिवक्ता अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों, मोबाइल नंबर के साथ और मेमो के साथ पीडीएफ फाईल में देता है, तो सिस्टम ऑफिसर या असिस्टेंट सिस्टम ऑफिसर की यह जवाबदारी होगी कि वह उसी दिन संबंधित न्यायालय में 5.00 बजे तक पेश कर दे और संबंधित न्यायालय और लिपिक उसे सुनवाई के लिये स्वीकार कर अगले दिन के लिये डायरी तलब करे, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है। इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिये और अगले दिन डायरी आकर प्रतिभूति आवेदन पत्र की सुनवाई और निराकरण होना चाहिये। इसका सिस्टम ऑफिसर, असिस्टेंट सिस्टम ऑफिसर, लिपिक और पीठासीन अधिकारी कठोरता से पालन करें।

18/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां0 कमांक–क्यू–1/2020 उज्जैन, दिनांक–18.06.2020

प्रतिलिपि–

1 समस्त न्यायाधीशगण,
2 समस्त प्रवर्तन लिपिक,
न्यायालय–उज्जैन/तराना/महिदपुर/खाचरौद/नागदा/बड़नगर
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ,
उज्जैन/तराना/महिदपुर/खाचरौद/नागदा/बड़नगर
की ओर इस भावना के साथ कि वे सभी अधिवक्ताओं को इससे अवगत करायेंगे।
4 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
5 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
6 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन
की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)